वर्ष 2011–2012 के बजट अनुमानों पर
वित्त मंत्री लालजी वर्मा
का बजट भाषण

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आपकी अनुमति से मैं वित्तीय वर्ष 2011–2012 का बजट इस सम्मानित सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ ।

माननीया मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी ने अपने पहले शासनकाल से लेकर वर्तमान शासनकाल के दौरान अनेक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व निर्णय लेकर उत्तर प्रदेश में सामाजिक परिवर्तन आन्दोलन को नयी दिशा और ऊर्जा प्रदान की है । उन्होंने अपने चारों शासनकालों में वैसे तो सर्वसमाज के सभी वर्गों के हितों की ओर पूरा ध्यान दिया है, लेकिन प्राथमिकता समाज के अन्तिम सोपान पर खड़े दलित, शोषित, वंचित और उपेक्षित वर्गों को दी है । माननीया मुख्यमंत्री जी ने अपनी सरकार के प्रत्येक निर्णय के केन्द्र में इन्हें रखते हुए इन वर्गों की बुनियादी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को सर्वोच्च वरीयता दी है ।

साथ ही, देश में दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में समय–समय पर जन्मे महान सन्तों, गुरूओं व महापुरूषों, खासतौर से महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायणा गुरू, बाबा साहेब

डॉ. भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी को विभिन्न प्रकार से, अर्थात् इनके नाम पर स्मारक, संग्रहालय, पार्क, जनपद, यूनिवर्सिटी एवं कालेज आदि स्थापित करके आदर व सम्मान दिया है । समाज के उपेक्षित वर्गों के मान–सम्मान के लिए अपना सम्पूर्ण जीवन समर्पित करने वाली इन महान विभूतियों के प्रति राज्य सरकार की यह विनम्र श्रद्धांजलि है ।

हमारी सरकार ने ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों की प्रगति और समृद्धि के लिए विभिन्न परियोजनाओं में पर्याप्त धन उपलब्ध कराकर विकास का वातावरण सृजित किया है और आम जनता की उन्नति के सपनों को साकार करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाये हैं ।

प्रदेश सरकार द्वारा "सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय" की नीति के आधार पर विभिन्न विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से सर्वसमाज के सभी वर्गों के उत्थान तथा प्रदेश के समस्त क्षेत्रों के सन्तुलित विकास का प्रयास किया जा रहा है । हमारी सरकार गरीबों, मजदूरों, किसानों, कर्मचारियों, व्यापारियों, धार्मिक अल्पसंख्यकों, महिलाओं, युवाओं, छात्रों सहित सभी वर्गों के कल्याण और समाज के उपेक्षित, जरूरतमंद व कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है ।

क्षेत्रीय असन्तुलन और आर्थिक असमानताओं को दूर करने तथा प्रदेश का तेजी से विकास करने के

उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार से विशेष आर्थिक सहायता पैकेज देने का अनुरोध किया गया, परन्तु इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार द्वारा आशानुरूप सकारात्मक कार्यवाही नहीं की गयी है । परिणामस्वरूप, हमारी सरकार ने अपने सीमित आर्थिक संसाधनों के दृष्टिगत, प्रदेश के विकास में निजी क्षेत्र को भी भागीदार बनाने के लिए निजी क्षेत्र से निवेश आकर्षित करने की रणनीति अपनायी है ।

हमारी सरकार के लिए किसानों का हित सर्वोपरि है । किसानों की समृद्धि व कृषि क्षेत्र को ठहराव से निकालने के उद्देश्य से कृषि उत्पादन में वृद्धि की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है । विभिन्न कृषि निवेशों की आसानी से उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा महत्वपूर्ण फैसले लिये गये हैं । इसके अन्तर्गत सभी प्रकार के उर्वरकों का बफर स्टाक कायम किया गया है एवं उन्नतिशील प्रजाति के बीजों की आपूर्ति की व्यवस्था की गयी है । इसके अलावा सिंचाई प्रणाली को सुदृढ़ किया गया है और ग्रामीण इलाकों में निर्धारित रोस्टर के अनुरूप बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की गयी है ।

अनुसूचित जाति के लघु एवं सीमान्त कृषकों के लिए संचालित निःशुल्क बोरिंग योजना में अनुदान की धनराशि ₹ 6 हजार से बढ़ाकर ₹ 10 हजार की गयी है, जिससे प्रदेश के अनुसूचित जाति के लाखों किसान लाभान्वित होंगे । गन्ना किसानों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए सरकार ने वर्तमान पेराई सत्र

2010–2011 में गन्ने के राज्य परामर्शित मूल्य में ₹ 40 प्रति कुन्तल की ऐतिहासिक व अभूतपूर्व वृद्धि की है ।

नौकरियों में वर्षों से बैकलॉग का कोटा पूरा करना, प्रदेश के राजस्व ग्रामों में 95650 सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति, अठ्ठासी हजार प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती, पुलिस बल में ढाई लाख नये पदों का सृजन तथा सामान्य वर्ग की भर्ती पर वर्षों से लगी रोक हटाना, रोजगार सुलभ कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं ।

भ्रष्टाचार की जड़ पर सख्त प्रहार, छोटे किसानों की खेती की जमीन का उद्योगों के लिये सरकार द्वारा अधिग्रहण न करना, छोटे किसानों की जमीन पर बैंकों द्वारा नीलामी पर प्रतिबन्ध लगाना, सरकारी निर्माण कार्यों में ₹ 25 लाख तक के ठेकों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षण की सुविधा देना, जैसे अनेक जनोपयोगी कार्य किये गये हैं ।

गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, नोएडा, उर्दू–अरबी–फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ, महामाया प्राविधिक विश्वविद्यालय, नोएडा की स्थापना की गयी है । नये अस्पतालों, मेडिकल कालेजों, इंजीनियरिंग कालेजों तथा अन्य बड़े संस्थानों की स्थापना की जा रही है ।

दिल्ली से नोएडा मेट्रो रेल का परिचालन तथा ग्रेटर नोएडा तक रेल लिंक पर काम शुरू करवाना इत्यादि ऐसे कार्य हैं जिनका प्रदेश की तरक्की पर

निश्चय ही सीधा, सकारात्मक और दूरगामी प्रभाव पड़ेगा ।

हमारी सरकार द्वारा महिलाओं, विशेष तौर पर बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिये "महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना" तथा "सावित्रीबाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना" जैसी महत्वाकांक्षी योजनायें संचालित की जा रही हैं । "सावित्रीबाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना" का लाभ वर्ष 2010–2011 से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों एवं पालीटेक्निकों में दाखिला लेने वाली छात्राओं को भी उपलब्ध कराया जा रहा है ।

राज्य सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों में जनता पर अतिरिक्त करों का बोझ नहीं डाला गया है । विद्यमान कर व्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए अपेक्षित वित्तीय संसाधन जुटाये गये हैं ।

राज्य सरकार के अनुरोध के बावजूद केन्द्र सरकार द्वारा बी.पी.एल. सूची, 2002 को संशोधित न किये जाने के कारण, ऐसे गरीब परिवारों, जो बी.पी.एल. सूची, 2002 में सम्मिलित नहीं थे और मंहगाई के रहते अपना पालन पोषण करने में सक्षम नहीं हो पा रहे थे, को सहायता देने के लिए उत्तर प्रदेश मुख्य मंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना लागू की गयी और इसमें अनाच्छादित बी.पी.एल. परिवारों को सीधे आर्थिक मदद देने का प्रयास किया गया । योजना में ₹ 300 प्रतिमाह दी जाने वाली

सहायता को ₹ 400 प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया है । यह धनराशि परिवार की महिला मुखिया को दिये जाने की व्यवस्था की गयी है ताकि वह घरेलू आवश्यकताओं की व्यवस्था कर सके ।

सरकारी विभागों में नयी कार्य संस्कृति विकसित करने की दिशा में हमारी सरकार ने शुरू से ही अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं, जिनके बेहतर नतीजे भी मिले हैं । प्रदेश की जनता को जवाबदेह प्रशासनिक व्यवस्था से लाभान्वित करने के उद्देश्य से "उत्तर प्रदेश जनहित गारण्टी कानून" को लागू करने का ऐतिहासिक और क्रान्तिकारी निर्णय लिया गया है ।

इस कानून के प्रथम चरण में जनहित की ऐसी सेवाओं को चिन्हित किया गया है, जिनकी सर्वाधिक आवश्यकता समाज के कमज़ोर और गरीब वर्गों के लोगों को दिन–प्रतिदिन रहती है । इस कानून के प्रभावी हो जाने से जनता को निर्धारित अवधि में सेवायें उपलब्ध होंगी । विचलन की स्थिति में आर्थिक दण्ड लगाये जाने का प्रावधान भी कानून में किया गया है ।

इण्डो–नेपाल बार्डर से लगे प्रदेश के सात जनपद–पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर एवं महराजगंज के क्षेत्रवासियों के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक विकास हेतु राज्य सरकार कटिबद्ध है । इन जनपदों के समग्र विकास हेतु उन्हें डॉ. अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना की भाँति चयनित विकास सुविधाओं से चरणबद्ध ढंग से

संतृप्त किया जायेगा तथा प्रथम चरण में सीमावर्ती विकास खण्डों में योजना क्रियान्वित की जायेगी ।

इण्डो–नेपाल बार्डर की सुरक्षा हेतु सड़कों के निर्माण, चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिये बजट में ₹ 132 करोड़ की व्यवस्था भी की गई है ।

उत्तर प्रदेश को जंगलराज और गुण्डा टैक्स के माहौल से निकालकर "कानून द्वारा कानून का राज" देने का भरपूर प्रयास किया गया है । प्रदेश में विकास का एक सकारात्मक वातावरण व जन–सुविधाओं से भरपूर एक नया माहौल बना है । कानून–व्यवस्था से जुड़े ऐसे कई महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक फैसले लिये गये हैं व उपलब्धियाँ अर्जित की गयी हैं, जिनके आधार पर उत्तर प्रदेश की छवि राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रगतिशील प्रदेश के रूप में उभरी है । सार्वजनिक क्षेत्र के साथ–साथ राज्य में बुनियादी सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु की गयी अनेक पहलें इस बात की गवाह हैं ।

मान्यवर,

सामान्य आर्थिक परिदृश्य एवं बजट के मुख्य बिन्दुओं को प्रस्तुत करने के पूर्व, मैं इस सदन का ध्यान देश में लगातार बढ़ रही महंगाई की ओर दिलाना चाहूँगा ।

इक्कीसवीं सदी के दूसरे दशक का अभिवादन कमर तोड़ महंगाई के द्वारा किया गया । केन्द्र सरकार की गलत नीतियों एवं किसान विरोधी मानसिकता के

कारण रोजमर्रा की जरूरत की खाद्य सामग्री आम जनता की पहुँच से बाहर हो गयी है । महंगाई पर रोक लगाने की जगह केन्द्र सरकार द्वारा केवल यह बयान देकर कि यह समस्या क्षणिक है तथा कुछ दिनों में मंहगाई दर नियंत्रण में आ जायेगी, यह समझ लिया गया है कि उनकी जिम्मेदारी पूरी हो गयी है, जबकि महंगाई की समस्या खत्म होने की जगह विकराल रूप धारण करती जा रही है । यह अत्यन्त दुःखद है कि केन्द्र सरकार द्वारा बार–बार इसे छोटी समस्या बता कर पल्ला झाड़ा जा रहा है ।

राज्य सरकार द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में रहते हुए जमाखोरी तथा कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के ठोस कदम उठाये गये हैं । हमारी सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत चावल, दाल, खाद्य तिलहन एवं खाद्य तेल पर स्टाक सीमा लगाई गई है । चीनी पर स्टाक लिमिट एवं टर्न ओवर लिमिट दिनांक 31 मार्च, 2011 तक लागू की गई है। रियायती मूल्य पर प्याज, पीली मटर, चीनी एवं अरहर की दाल की बिक्री कर्मचारी कल्याण निगम के माध्यम से की जा रही है । अप्रैल से दिसम्बर, 2010 तक प्रदेश में 30798 छापे मारे गये, 1227 मामलों में एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई, 486 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये, 1251 व्यक्तियों को अभियोजित किया गया, 3964 राशन की दुकानों को निलम्बित किया गया, 2464 दुकानों के लाइसेंस निरस्त किये गये तथा ₹ 195 लाख की

प्रतिभूति एवं ₹ 1190 लाख की आवश्यक वस्तुयें जब्त की गईं ।

सामान्य आर्थिक परिदृश्य

अब मैं आपके समक्ष राज्य की आर्थिक स्थिति, वार्षिक योजना एवं बजट के मुख्य बिन्दुओं का उल्लेख करना चाहूँगा ।

- दसवीं पंचवर्षीय योजना में प्रदेश की विकास दर 5.2 प्रतिशत रही थी । वर्ष 2007–2008 में प्रदेश की विकास दर 7.5 प्रतिशत रही। विश्वव्यापी मंदी की वजह से वर्ष 2008–2009 में अनन्तिम अनुमानों के अनुसार विकास दर 6.1 प्रतिशत रही । वर्ष 2009–2010 में प्रदेश की विकास दर 7.2 प्रतिशत आंकलित हुई है ।
- प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2006–2007 में ₹ 15865 से बढ़कर 2007–2008 में ₹ 17602, वर्ष 2008–2009 में ₹ 20004 तथा वर्ष 2009–2010 में ₹ 23132 हो गयी है ।
- ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के आधार वर्ष 2006–2007 में प्रदेश की योजना का आकार ₹ 19000 करोड़ था, जो वर्ष 2007–2008 में बढ़कर ₹ 25000 करोड़ हो गया । वर्ष 2008–2009 में योजना का आकार ₹ 35000 करोड़, वर्ष 2009–2010 में ₹ 39000 करोड़ तथा वर्ष 2010–2011 में ₹ 42000 करोड़ अनुमोदित हुआ । इस प्रकार आधार वर्ष के सापेक्ष

वार्षिक योजना वर्ष 2010–2011 के आकार में दो गुने से अधिक की वृद्धि हुई है । राज्य सरकार द्वारा वार्षिक योजनाओं के वित्त पोषण हेतु अपेक्षित वित्तीय संसाधन जुटाये गये । परिणामस्वरूप, अनुमोदित योजनाओं के सापेक्ष लगभग 98 प्रतिशत का व्यय किया गया है । वार्षिक योजना वर्ष 2011–2012 का आकार अभी योजना आयोग के परामर्श से अन्तिम रूप से निर्धारित नहीं हुआ है । अनन्तिम रूप से योजना का आकार ₹ 45000 करोड़ मानते हुये बजट व्यवस्था की गई है ।

बजट के महत्वपूर्ण बिन्दु

- वर्ष 2011–2012 के बजट का आकार ₹ 169416.38 करोड़ है जो वर्ष 2010–2011 के बजट से 10.6 प्रतिशत अधिक है ।
- व्यय की नई माँगों के माध्यम से ₹ 5153.16 करोड़ की व्यवस्था की गई है ।
- बजट में अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना के अन्तर्गत ₹ 9722 करोड़ की व्यवस्था की गयी है जो वर्ष 2010–2011 की तुलना में 6.8 प्रतिशत अधिक है ।
- कुल आयोजनागत व्यय ₹ 47627.46 करोड़ प्रस्तावित है जिसमें राज्य योजना के लिए ₹ 39654.88 करोड़ की व्यवस्था की गयी है ।

- बजट वर्ष में राजस्व बचत ₹ 5635.04 करोड़ अनुमानित है । वर्ष 2010–2011 के बजट में ₹ 554.40 करोड़ राजस्व बचत होने का अनुमान था ।
- वर्ष 2011–2012 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा 2.97 अनुमानित है जो राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004 में निर्धारित 3 प्रतिशत के स्तर से कम है । वर्ष 2010–2011 के पुनरीक्षित अनुमानों के आधार पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा 3.9 होना अनुमानित है ।
- वर्ष 2011–2012 में राज्य की ऋणग्रस्तता सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में 32 होने का अनुमान है, जो राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004 में वर्ष 2011–2012 के लिए निर्धारित स्तर 46.9 प्रतिशत से कम है ।

तेरहवां वित्त आयोग

इस सदन के समक्ष वर्ष 2010–2011 का बजट प्रस्तुत करते समय तक तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियाँ प्राप्त नहीं हुई थीं । आयोग की रिपोर्ट भारत सरकार के कार्यवाही ज्ञापन सहित दिनांक 25 फरवरी, 2010 को संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत की गयी । भारत सरकार द्वारा स्वीकार की गई आयोग

की संस्तुतियों के अन्तर्गत वर्ष 2011–2012 में सहायता अनुदान एवं राज्य विशिष्ट अनुदान की मद में ₹ 2567.97 करोड़ तथा नगरीय व ग्रामीण निकायों हेतु अनुदान ₹ 1846.10 करोड़ प्राप्त होने का अनुमान है । आपदा–राहत अनुदान की मद में ₹ 308.50 करोड़ को सम्मिलित करते हुये बजट वर्ष में कुल ₹ 4722.57 करोड़ की राशि प्राप्त हो सकेगी ।

मान्यवर,

विभागवार उपलब्धियों और कार्यक्रमों का विवरण और उन पर चर्चा का अवसर मंत्रिमण्डल के माननीय सदस्यों द्वारा विभागीय अनुदानों को प्रस्तुत करते समय प्राप्त होगा । मैं यहाँ पर वर्ष 2011–2012 के बजट में सम्मिलित कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं एवं कार्यक्रमों का उल्लेख करना चाहूँगा –

सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय

सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं के अन्तर्गत ₹ 10084 करोड़ की बजट व्यवस्था समाज के विभिन्न दुर्बल एवं निशक्त वर्गों के कल्याणार्थ की गई है । यह वर्ष 2010–2011 की तुलना में 15.8 प्रतिशत अधिक है ।

- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना से आच्छादित लाभार्थी परिवारों को दी जाने वाली मासिक सहायता की राशि ₹ 300 को बढ़ाकर ₹ 400 किये जाने का निर्णय लिया

गया है । वर्ष 2011–2012 में इस योजना हेतु ₹ 1081 करोड़ की बजट व्यवस्था की जा रही है ।

- गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवारों के पुत्रियों की शादी तथा उनके परिजनों के इलाज हेतु वर्ष 2010–2011 में ₹ 175 करोड़ के सापेक्ष वर्ष 2011–2012 में ₹ 268 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत वर्ष वर्ष 2011–2012 में ₹ 250 करोड़ की व्यवस्था की गयी है ।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा सामान्य जाति के गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले व्यक्तियों के पुत्र तथा पुत्रियों को छात्रवृत्ति योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2010–2011 में ₹ 1440 करोड़ के प्रावधान के सापेक्ष वर्ष 2011–2012 में ₹ 1540 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- पिछड़े वर्ग के छात्रों एवं छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति एवं शुल्क की प्रतिपूर्ति प्रदान की जा रही है । इस हेतु वर्ष 2011–2012 में ₹ 1084 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना के अन्तर्गत वर्ष 2010–2011 में ₹ 1615 करोड़ की धनराशि से वृद्धजनों को लाभान्वित किया जा रहा है । वर्ष 2011–2012 में इस योजना के लिये ₹ 1775 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत बी.पी.एल. परिवारों के लिए प्रति परिवार ₹ 30000 की सीमा तक अस्पताल में भर्ती और सम्बन्धित स्वास्थ्य सेवायें, शल्यक्रिया जैसी चिकित्सा सेवायें निःशुल्क उपलब्ध करायी जा रही हैं । वर्ष 2011–2012 में योजना हेतु ₹ 131 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- मछुआ समुदाय के सामाजिक संरक्षण हेतु एक लाख बीस हजार समिति के सदस्यों/सक्रिय मत्स्य पालकों को निःशुल्क प्रीमियम पर आधारित मछुआ दुर्घटना बीमा योजना से आच्छादित किये जाने का लक्ष्य है ।

महिला एवं बाल विकास

बजट वर्ष में महिला एवं बाल विकास की योजनाओं के लिये ₹ 4761 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्ष 2010–2011 की तुलना में 6.3 प्रतिशत अधिक है ।

- महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना का लाभ बी.पी.एल. कार्ड धारक परिवारों को ही प्राप्त

हो रहा है । बी.पी.एल. कार्ड धारक परिवारों के अतिरिक्त महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना में सम्मिलित लाभार्थी परिवारों को भी इस योजना के अन्तर्गत आच्छादित किये जाने का प्रस्ताव है । वर्ष 2011–2012 में एक लाख अस्सी हजार बालिकाओं को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है, जिसके लिये ₹ 360 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- बाल कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत प्री–स्कूल किट्स, मेडिसिन किट्स, वेतन, मानदेय, मशीन, साज–सज्जा आदि पर व्यय हेतु वर्ष 2011–2012 में ₹ 2983 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- पोषाहार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2011–2012 में ₹ 2683 करोड़ की व्यवस्था की गयी है ।

- राजीव गाँधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण योजना ''सबला'' के अन्तर्गत 11 से 14 वर्ष आयु की स्कूल न जाने वाली तथा 14 से 18 वर्ष आयु की सभी किशोरी बालिकाओं को अनुपूरक पुष्टाहार, प्रशिक्षण तथा अन्य सेवाओं से लाभान्वित किया जा रहा है । वर्ष 2011–2012 में इस योजना के अन्तर्गत ₹ 109 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- पति की मृत्योपरान्त निराश्रित महिलाओं तथा उनके बच्चों की शिक्षा व्यवस्था हेतु अनुदान योजना के अन्तर्गत वर्ष 2011–2012 में ₹ 587 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है, जिससे सोलह लाख तीस हजार निराश्रित महिलायें लाभान्वित होंगी ।

विकलांग कल्याण

- प्रदेश के निर्धन एवं असहाय विकलांगजन को सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से स्वावलम्बी बनाये जाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए वर्ष 2011–2012 के बजट में ₹ 365 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- विकलांगजन के भरण–पोषण अनुदान योजना हेतु वर्ष 2011–2012 में ₹ 259 करोड़ की व्यवस्था है ।

अल्पसंख्यक कल्याण

- पूर्वदशम् एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत वर्ष 2011–2012 में छत्तीस लाख पच्चीस हजार छात्र/छात्राओं को ₹ 294 करोड़ की धनराशि से लाभान्वित किया जाएगा । दशमोत्तर कक्षाओं के छात्र/छात्राओं की शुल्क प्रतिपूर्ति के लिये ₹ 6 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- मदरसों/मकतबों में धार्मिक शिक्षा के साथ–साथ आधुनिक विषयों की शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के लिए वर्ष 2011–2012 में ₹ 50 करोड़ की बजट व्यवस्था की गयी है ।

बुनकर कल्याण

- बजट वर्ष में बुनकरों के लिये स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है, जिसका उद्देश्य बुनकर समुदाय को बेहतर स्वास्थ्य की देखभाल की सुविधाओं की पहुँच के लिये आर्थिक तौर पर समर्थ बनाना है । इस योजना में बुनकर, उसकी पत्नी तथा दो बच्चों को कवर किया जायेगा । योजना के अन्तर्गत पहले से ही विद्यमान सभी रोगों और नये रोगों की चिकित्सा की जा सकेगी और ओ.पी.डी. के लिये भी पर्याप्त प्रावधान रखा जायगा ।

- वस्त्रोद्योग के क्षेत्र में पावरलूम के महत्व को देखते हुये आधुनिकीकरण एवं समग्र विकास की योजना लागू की जायेगी, जिसका सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इसे पूर्णतः राज्य सेक्टर से संचालित किया जाना प्रस्तावित है । इस निमित्त वर्ष 2011–2012 में ₹ दो करोड़ सत्रह लाख की व्यवस्था की गई है ।

अवस्थापना

बिजली

विद्युत क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं के लिये वर्ष 2011–2012 में ₹ 8227 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिये ऊर्जा क्षेत्र की योजनाओं हेतु वर्ष 2011–2012 में ₹ 1267 करोड़ की व्यवस्था की गयी है ।
- प्रदेश सरकार के सीमित वित्तीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुये विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निजी क्षेत्र के निवेशकों को आकर्षित करने के लिये ऊर्जा नीति, 2009 घोषित की गयी है ।
- ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के अन्त तक राज्य क्षेत्र की परियोजनाओं से 2000 मेगावॉट, निजी क्षेत्र की परियोजनाओं से 2130 मेगावॉट, एम.ओ.यू. रूट की परियोजनाओं से 450 मेगावॉट तथा केन्द्र सरकार की संस्था से क्रियान्वित परियोजनाओं से 1571 मेगावॉट विद्युत प्राप्त होने का अनुमान है । इसके अतिरिक्त 12वीं पंचवर्षीय योजनाकाल में विभिन्न क्षेत्रों से 31390 मेगावॉट विद्युत उत्पादन के लिये परियोजनाओं को चिन्हित किया गया है ।

- निवेली लिग्नाईट कारपोरेशन लिमिटेड के साथ संयुक्त उपक्रम में घाटमपुर, कानपुर में तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु वर्ष 2011–2012 में ₹ 200 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- वितरण व्यवस्था में सुधार की दिशा में कार्यवाही करते हुये 109 नये उप संस्थानों का निर्माण किया गया है तथा 130 उप संस्थानों की क्षमता में वृद्धि के साथ–साथ 457.15 सर्किट किलोमीटर लाईनों का कार्य पूर्ण किया गया ।
- राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण में गैर विद्युतीकृत एक लाख अड़तीस हजार तीन सौ तिहत्तर मजरों का विद्युतीकरण किया जायेगा ।
- विद्युत वितरण प्रणाली में सुधार हेतु प्रदेश के चयनित शहरों में इनपुट बेस्ड फ्रेन्चाईजी नियुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया है । इसके अन्तर्गत प्रथम चरण में आगरा शहर में फ्रेन्चाईजी की नियुक्ति की जा चुकी है ।
- डॉ. अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2010–2011 में माह जनवरी, 2011 तक 2190 ग्रामों एवं 2645 मजरों को संतृप्त किया जा चुका है ।

- माह दिसम्बर, 2010 तक 16362 निजी नलकूपों का ऊर्जीकरण किया गया है ।

सड़क एवं सेतु

- वित्तीय वर्ष 2011–2012 में सड़क एवं सेतु के निर्माण, सुदृढ़ीकरण एवं रख रखाव कार्यों हेतु ₹ 6775 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्ष 2010–2011 की तुलना में 16.6 प्रतिशत अधिक है ।
- ऐसे ग्राम, जिनमें अनुसूचित जाति की आबादी 50 प्रतिशत अथवा उससे अधिक है, के समस्त असंतृप्त मजरों को सम्पर्क मार्गों से जोड़ने के लिए ₹ 808 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है । इस से 3500 असंतृप्त मजरों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने हेतु 3400 किलोमीटर लम्बाई में मार्गों का नवनिर्माण / पुनर्निर्माण कराया जा सकेगा ।
- ग्रामीण अंचलों में सम्पर्क मार्गों के निर्माण तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मार्गों व लघु सेतुओं के निर्माण हेतु ₹ 867 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है । इस से 2100 किलोमीटर लम्बाई में पक्के सम्पर्क मार्गों का निर्माण कर 800 ग्रामों को पक्के मार्गों से जोड़ा जाएगा ।
- ऐसे महत्वपूर्ण राज्य मार्गों, प्रमुख जिला मार्गों एवं अन्य जिला मार्गों, जिन पर यातायात घनत्व

अधिक है, के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु ₹ 1206 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है । इससे 1000 किलोमीटर लम्बाई में मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य सम्पादित कराये जायेंगे ।

- राज्य राज मार्गों के उन्नयन, सुदृढ़ीकरण एवं निर्माण के नये कार्यों के लिए ₹ 290 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- कृषि विपणन सुविधाओं के विकास हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों एवं लघु सेतुओं के निर्माण, पुनर्निर्माण एवं जीर्णोद्धार के नये कार्यों के लिए ₹ 213 करोड़ की बजट व्यवस्था का प्रस्ताव है।

सिंचाई

- सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के लिये बजट वर्ष में ₹ 5451 करोड़ की व्यवस्था की गई है ।
- प्रदेश का कुल बोया गया क्षेत्रफल 254.15 लाख हेक्टेयर है । नहरों एवं राजकीय नलकूपों से 65 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है । प्रदेश में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिये 73,926 किलोमीटर लम्बी नहर प्रणाली विकसित है ।

- मान्यवर कांशीराम जी नलकूप परियोजना के अन्तर्गत नये कार्यों के लिए ₹ 296 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- प्रदेश की विभिन्न नहर प्रणालियों के निर्माण एवं उन्नयन के नये कार्यों तथा सिंचाई की अन्य नयी परियोजनाओं हेतु ₹ 190 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

शहरी अवस्थापना

शहरी अवस्थापना सुविधाओं के विकास के अन्तर्गत आवास, पेयजल, सीवरेज तथा नगर विकास की योजनाओं के लिये बजट वर्ष में ₹ 5005 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- प्रदेश की राजधानी लखनऊ के ऐतिहासिक महत्व तथा बढ़ते हुए विस्तार के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा लखनऊ के समग्र विकास हेतु अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिससे लखनऊ को एक नया स्वरूप प्राप्त हुआ है । अनेक महत्वपूर्ण स्थल जैसे डा. भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल, मान्यवर श्री कांशीरामजी ग्रीन (इको) गार्डन, मान्यवर श्री कांशीरामजी स्मारक स्थल, गौतमबुद्ध शान्ति उपवन आदि विकसित हुये हैं । परिणामस्वरूप, लखनऊ महानगर पर्यटकों के लिये आकर्षण का केन्द्र बना हुआ है ।

- सघन आबादी तथा व्यावसायिक क्षेत्रों में मल्टीलेविल पार्किंग, उद्यानों एवं पार्कों का विकास, पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिये पैदल उपरगामी सेतु, मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण आदि से सम्बन्धित महत्वपूर्ण परियोजनायें कार्यान्वित की गयी हैं ।

- अवध की शान 'हजरतगंज' के 200 वर्ष पूर्ण होने के ऐतिहासिक अवसर पर हजरतगंज तथा आसपास के क्षेत्रों का सौन्दर्यीकरण एवं पुनरूद्धार किये जाने पर लखनऊ की जनता द्वारा इस महान प्रयास का भरपूर स्वागत किया गया है । शहर में साफ सुथरे वातावरण और हरियाली के दायरे को बढ़ाने के लिए गोमती नगर विस्तार योजना में 500 एकड़ के खुले इलाके को विकसित किया गया और 100 पार्कों को खूबसूरत बनाया गया है ।

- लखनऊ के समग्र विकास हेतु वर्ष 2011–2012 के बजट में ₹ 564 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है ताकि प्रदेश की राजधानी की गरिमा के अनुरूप सुनियोजित विकास को मूर्तरूप प्रदान किया जा सके ।

- जनहित से जुड़ी तात्कालिक आवश्यकता की परियोजनाओं तथा अवस्थापना सुविधाओं के विकास एवं सुदृढ़ीकरण हेतु संचालित ''मान्यवर श्री कांशीराम जी नगर विकास योजना'' के लिये

वर्ष 2011–2012 में ₹ 148 करोड़ की बजट व्यवस्था की गयी है ।

- "आदर्श नगर योजना" के लिए वर्ष 2011–2012 में ₹ 39 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- नगरीय सीवरेज कार्यक्रम के अन्तर्गत अधूरी योजनाओं को पूर्ण करने हेतु वर्ष 2011–2012 में ₹ 49 करोड़ की बजट व्यवस्था है ।
- आगरा पेयजल पूर्ति योजना के लिये वर्ष 2010–2011 में ₹ 300 करोड़ के बजट के सापेक्ष वर्ष 2011–2012 में ₹ 500 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- नगरीय क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु संचालित जवाहर लाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन के यू.जी.आई. कार्यांश में प्रदेश के सात शहर–कानपुर, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, मेरठ, इलाहाबाद तथा मथुरा सम्मिलित किये गये हैं। योजनान्तर्गत वर्ष 2011–2012 के बजट में ₹ 500 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- नगरों में जल भराव की समस्या से निपटने के लिए वर्ष 2010–2011 में नगरीय जल निकासी योजना प्रारम्भ करते हुए ₹ 20 करोड़ की बजट व्यवस्था की गई थी । वर्ष 2011–2012 में

इस योजना के लिये ₹ 39 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- प्रदेश की नदियों को प्रदूषणमुक्त किये जाने के साथ ही साथ प्रमुख झीलों को भी प्रदूषणमुक्त किये जाने हेतु झील संरक्षण योजना के अन्तर्गत वर्ष 2011–2012 में ₹ 25 करोड़ की बजट व्यवस्था की गयी है ।
- इलाहाबाद में आयोजित होने वाले कुम्भ मेले के लिए ₹ 125 करोड़ की बजट व्यवस्था की गयी है ।
- वाराणसी नगर के विकास हेतु ₹ 31 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- आश्रयहीनों के लिए शेल्टर होम की स्थापना हेतु ₹ 11 करोड़ की व्यवस्था का प्रस्ताव है ।
- इन्टीग्रेटेड हाउसिंग एण्ड स्लम डेवलपमेन्ट प्रोग्राम हेतु वर्ष 2011–2012 में ₹ 492 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है जिससे पन्द्रह हजार व्यक्तियों को आवास सहित मूलभूत सुविधायें प्रदान की जायेंगी ।
- स्मारकों, संग्रहालयों, संस्थाओं, पार्कों आदि के रखरखाव एवं संचालन हेतु ₹ 122 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है ।

- मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के अन्तर्गत निराश्रित विधवाओं, निराश्रित विकलांगों एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले शहरी गरीब व्यक्तियों हेतु प्रथम चरण (2008–2009 एवं 2009–2010) में 99,028 आवासीय इकाईयों का निर्माण कराया गया जिसमें से 85,183 भवनों का कब्जा लाभार्थियों को दे दिया गया है । द्वितीय चरण (2009–2010 एवं 2010–2011) में 42,489 आवासीय इकाईयों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा रहा है ।

- योजना के तृतीय चरण में पचास हजार आवासीय इकाईयों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है । बजट वर्ष में योजना हेतु ₹ 675 करोड़ की व्यवस्था की गई है ।

- "सबके लिए आवास" योजना के अन्तर्गत वर्ष 2010–2011 में चालीस हजार भवनों एवं भूखण्डों के लक्ष्य के सापेक्ष दुर्बल आय वर्ग, अल्प आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग तथा उच्च आय वर्गों के लिए नवम्बर, 2010 तक 34,349 भवनों का निर्माण तथा भूखण्डों का कार्य पूर्ण कर लिया गया है । वर्ष 2011–2012 में यह लक्ष्य बढ़ाकर पचास हजार किया जाना प्रस्तावित है ।

सामाजिक अवस्थापना

मानव संसाधन विकास हेतु शिक्षा एवं स्वास्थ्य, दो मूलभूत आवश्यकतायें हैं । इस बजट में इन क्षेत्रों की वित्तीय आवश्यकताओं की ओर विशेष ध्यान दिया गया है ।

- बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा हेतु वर्ष 2011–2012 के बजट में क्रमश ₹ 19086 करोड़, ₹ 6846 करोड़ तथा ₹ 2146 करोड़ प्रस्तावित है जो सम्मिलित रूप से वर्ष 2010–2011 के बजट में प्राविधानित राशि ₹ 23470 करोड़ से 19.6 प्रतिशत अधिक है ।
- वर्ष 2011–2012 में असेवित बस्तियों में 5,000 नवीन प्राथमिक विद्यालय एवं 1500 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जायेंगे ।
- वर्ष 2011–2012 में 50,000 अतिरिक्त कक्षा–कक्षों का निर्माण प्रस्तावित है । प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमशः 35,000 एवं 11,000 अध्यापकों के अतिरिक्त पदों की व्यवस्था की जाएगी ।
- शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विकास खण्डों में अपवंचित एवं कमजोर वर्ग की बालिकाओं के लिए कक्षा 6 से 8 तक आवासीय शिक्षा हेतु 454 कस्तूरबा गाँधी विद्यालय संचालित हैं। वर्ष

2011–2012 में 292 विकास खण्डों में कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय खोले जायेंगे ।

- अम्बेडकर ग्रामों में स्थित 10,000 परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चहारदीवारी निर्माण हेतु वर्ष 2011–2012 के बजट में ₹ 88 करोड़ की व्यवस्था की गयी है ।
- मध्याह्न भोजन योजना हेतु बजट में ₹ 1607 करोड़ की व्यवस्था है ।
- बजट वर्ष में 148 नये मॉडल स्कूलों की स्थापना हेतु ₹ 13 करोड़ तथा सैनिक स्कूल, लखनऊ में ऑडिटोरियम के निर्माण हेतु ₹ 13 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- सावित्री बाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना के अन्तर्गत वर्ष 2011–2012 में कक्षा–11 की तीन लाख पचहत्तर हजार एवं कक्षा 12 की तीन लाख पैंतीस हजार इस प्रकार कुल सात लाख दस हजार छात्राओं को आच्छादित करने का लक्ष्य है, जिसमें अनुसूचित जाति की एक लाख पिचासी हजार छात्रायें सम्मिलित हैं । इस हेतु ₹ 340 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- माध्यमिक शिक्षा अभियान योजना के अन्तर्गत वर्ष 2011–2012 में ₹ 94 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- बालिका विद्यालयों में छात्रावास के निर्माण हेतु ₹ 85 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- सूचना, संचार एवं प्रौद्योगिकी योजना के अन्तर्गत विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा और कम्प्यूटर सहायतित शिक्षा की निःशुल्क व्यवस्था की गई है । इस हेतु बजट में ₹ 108 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- लखनऊ में उर्दू–अरबी–फारसी विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 2010 में की गयी है । विश्वविद्यालय भवन के निर्माण हेतु वर्ष 2011–2012 में ₹ 10 करोड़ की व्यवस्था की गयी है ।

प्राविधिक एवं व्यवसायिक शिक्षा

- प्रदेश के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास के लिए तकनीकी शिक्षा एक मूलभूत आवश्यकता है । औद्योगिक क्षेत्र में तकनीकी जनशक्ति की माँग के दृष्टिगत प्रदेश सरकार द्वारा निजी क्षेत्र में पॉलीटेक्निकों की स्थापना पर विशेष बल दिया जा रहा है । शैक्षणिक सत्र 2010–2011 तक प्रदेश में 135 पॉलीटेक्निक निजी क्षेत्र में स्थापित हो चुके हैं, जिनकी प्रवेश क्षमता 33,490 है ।
- सेण्टर ऑफ एक्सीलेन्स योजना के अन्तर्गत 26 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उच्चीकरण, पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप योजना के अन्तर्गत चयनित 78 राजकीय औद्योगिक

प्रशिक्षण संस्थानों का उच्चीकरण, अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में खोले गये 25 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार तथा स्पेशल कम्पोनेण्ट सब प्लान के अन्तर्गत खोले गये राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का आधुनिकीकरण प्रस्तावित है ।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा

- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के अन्तर्गत बजट में ₹ 4990 करोड़ की व्यवस्था की गई है ।
- चिकित्सालयों एवं औषधालयों में औषधियों के लिये औषधि तथा रसायन की मद में ₹ 381 करोड़ की व्यवस्था की गई है ।
- बजट वर्ष में 6 संयुक्त चिकित्सालयों, 100 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा 200 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण एवं स्थापना प्रस्तावित है ।
- राजकीय मेडिकल कालेजों के लिये ₹ 680 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- राजकीय ऐलोपैथिक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी व होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजों में इन्टर्नशिप कर रहे छात्रों के मासिक भत्ते को 12 वर्षों के पश्चात् ₹ 1950 से बढ़ाकर ₹ 7500 किया गया ।

- संजय गॉधी आयुर्विज्ञान स्नातकोत्तर संस्थान, लखनऊ में उपकरणों के क्रय तथा निर्माण कार्यों हेतु ₹ 110 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ में उपकरणों के क्रय तथा निर्माण कार्यों हेतु कुल ₹ 100 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- चिकित्सा विश्वविद्यालय में पी.जी. की वर्तमान 108 सीटों में वृद्धि कर 185 सीटें किये जाने का निर्णय लिया गया है ।
- छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ में बी.पी.एल., विकलांग तथा विपन्न रोगियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है । अब यह सुविधा संजय गाँधी आयुर्विज्ञान स्नातकोत्तर संस्थान, लखनऊ में भी उपलब्ध करायी जायेगी ।
- डी.एम. तथा एम.सी.एच. की वर्तमान 23 सीटों को बढ़ाकर 59 सीटें किये जाने का निर्णय लिया गया है ।
- डॉ. राम मनोहर लोहिया इस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सांइसेज, लखनऊ को पूर्ण क्षमता के साथ संचालित किये जाने हेतु संस्थान में

उपकरणों तथा वृहद निर्माण कार्यों के लिए ₹ 125 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- प्रदेश में वर्ष 1995 से पल्स पोलियो टीकाकरण के कई चरण आयोजित किये जा चुके हैं जिनके आशातीत परिणाम प्राप्त हुए हैं । हम पोलियो उन्मूलन के लिये कृत्संकल्प हैं । प्रदेश के चार जनपदों–वाराणसी, इलाहाबाद, मुरादाबाद तथा लखनऊ को पोलियो ग्रस्त बच्चों की करेक्टिव सर्जरी हेतु चयनित किया गया है ।

कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप

मान्यवर,

प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है । उत्तर प्रदेश की अधिकांश जनसंख्या कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलापों पर निर्भर है। कृषि प्रधान प्रदेश की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये हमने कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलापों की योजनाओं के लिये बजट व्यवस्था की है ।

- कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलापों के लिये वर्ष 2011–2012 में ₹ 4496 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्ष 2010–2011 की तुलना में 8.9 प्रतिशत अधिक है ।

- ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कृषि क्षेत्र की विकास दर 5.1 प्रतिशत प्राप्त करने का लक्ष्य है । इसी को ध्यान में रखते हुए वर्ष

2010–2011 में खाद्यान्न उत्पादन के लिए 524.11 लाख मीट्रिक टन और तिलहन के लिए 13.57 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया है । वर्ष 2011–2012 में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 538.25 लाख मीट्रिक टन एवं तिलहन उत्पादन का लक्ष्य 14.36 लाख मीट्रिक टन रखा गया है ।

- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.) के लिए वर्ष 2011–2012 में ₹ 615 करोड़ की व्यवस्था की गई है ।
- पूर्वी उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति के विस्तार हेतु ₹ 57 करोड़ के कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है ।
- राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत नवम्बर, 2010 तक 38 लाख बासठ हजार किसानों को आच्छादित करते हुये ₹ 858 करोड़ की क्षतिपूर्ति उपलब्ध करायी गयी है ।
- हमारी सरकार की प्राथमिकता गन्ना किसानों को बकाये गन्ना मूल्य का तत्परता से भुगतान कराने की है ताकि गन्ना किसानों का हित प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हो । वर्तमान पेराई सत्र में 02 फरवरी, 2011 तक की स्थिति के अनुसार कुल देय गन्ना मूल्य का शत् प्रतिशत भुगतान किया जा चुका है ।

- पिछले पेराई सत्र में ₹ 13,250 करोड़ का रिकार्ड भुगतान गन्ना किसानों को हुआ जो इससे पूर्ववर्ती पेराई सत्र के सापेक्ष ₹ 6,960 करोड़ अधिक है । फलतः गन्ना किसानों की आय दो गुनी करने का लक्ष्य पूरा हुआ ।
- वर्तमान पेराई सत्र में संचालित 126 चीनी मिलों में पेराई कार्य प्रारम्भ हो गया है । अब तक 3481 लाख कुन्तल गन्ने की पेराई हो चुकी है तथा इससे 310.42 लाख टन चीनी का उत्पादन किया जा चुका है ।
- दलहनी फसलों के उत्पादन संवर्धन हेतु गन्ने के साथ अन्तर्फसली खेती को बढ़ावा देने के लिए ₹ 50 करोड़ की महत्वाकांक्षी योजना प्रस्तावित की गई है । भूमि में सूक्ष्म तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए ₹ 8 करोड़ की योजना प्रस्तावित की गई है ।
- प्रदेश में संकर बीजों के उपभोग को बढ़ावा देने की नयी योजना हेतु बजट में ₹ 30 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है ।
- कृषि विपणन यार्ड के निर्माण एवं विकास हेतु ₹ 88 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ के अन्तर्गत पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नॉलाजी की स्थापना हेतु ₹ 10 करोड़ व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि तथा विविधता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा कृषि शिक्षा, शोध एवं प्रसार पर विशेष बल दिया जा रहा है । कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान हेतु ₹ 293 करोड़ की बजट व्यवस्था की गई है ।

- फसली ऋण वितरण योजना के अन्तर्गत वर्ष 2010–2011 में ₹ 3370 करोड़ के लक्ष्य के सापेक्ष अब तक ₹ 3042 करोड़ का ऋण वितरित किया जा चुका है ।

- किसानों को उर्वरक की ससमय पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु उर्वरक के अग्रिम भण्डारण हेतु वर्ष 2011–2012 में ₹ 72 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- उत्तर प्रदेश सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन, तृतीय परियोजना के कार्यान्वयन के लिये वर्ष 2011–2012 प्रथम सुधार वर्ष होगा । इस हेतु निर्धारित 20,000 हेक्टेयर के लक्ष्य के सापेक्ष 361 ग्रामों में 23650 हेक्टेयर भूमि चिन्हांकित की गई है तथा बीहड़ सुधार कार्यक्रम हेतु निर्धारित 1,000 हेक्टेयर लक्ष्य के सापेक्ष लगभग 1250 हेक्टेयर भूमि चिन्हांकित की जा चुकी है । योजनान्तर्गत बजट वर्ष में ₹ 177 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- प्रदेश में दुग्ध विकास कार्यक्रमों में गुणात्मक सुधार लाया गया है । दुग्ध उत्पादकों के व्यापक हित में दुग्ध उपार्जन की गति बनाये रखने के उद्देश्य से प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन को ₹ 101 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है । उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है ।
- ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में पशुजन्य पदार्थों के उत्पादन में 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं । पशुपालन की योजनाओं के लिये वर्ष 2011–2012 में ₹ 475 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- प्रदेश में बीस हजार पशुओं पर एक पशु चिकित्सालय उपलब्ध है । ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के अन्त तक प्रदेश में पन्द्रह हजार पशुओं पर एक पशु चिकित्सालय स्थापित किया जाना प्रस्तावित है । वर्ष 2011–2012 में 37 नये पशु चिकित्सालयों की स्थापना किये जाने का लक्ष्य है ।

ग्राम्य विकास

ग्राम्य विकास कार्यक्रमों के लिये वर्ष 2011–2012 के बजट में ₹ 6133 करोड़ की व्यवस्था की गयी है ।

- महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना (मनरेगा) के अन्तर्गत वर्ष 2011–2012 में 70 लाख परिवारों को आच्छादित किये जाने का लक्ष्य है । बजट में राज्यांश के रूप में ₹ 500 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2011–2012 में चार लाख पचास हजार व्यक्तियों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है । इस हेतु ₹ 150 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि हेतु बजट में ₹ 630 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2011–2012 हेतु दो लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्रक्षेत्र विकास कार्यक्रम संचालित किये जायेंगे जिसके निमित्त ₹ 448 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है । इससे एक करोड़ साठ लाख मानव दिवस कार्य का सृजन होगा, इसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु पैंतीस लाख मानव दिवस कार्य सम्मिलित हैं ।

- पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजनान्तर्गत 34 जनपदों हेतु ₹ 636 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

ग्रामीण अवस्थापना

- डॉ. अम्बेडकर ग्रामों में सी.सी. रोड एवं के.सी. ड्रेन निर्माण हेतु ₹ 800 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है जिससे 2249 डॉ. अम्बेडकर ग्रामों में सी.सी. रोड एवं के.सी. ड्रेन का निर्माण कराया जायेगा ।

- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत ₹ 3000 करोड़ से सर्वऋतु सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराया जायगा ।

- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बी.पी.एल. आवास विहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराये जाने के लिए राज्य सरकार द्वारा शत् प्रतिशत वित्त पोषित महामाया आवास योजना संचालित है । योजनान्तर्गत वर्ष 2011–2012 में ₹ 550 करोड़ की व्यवस्था की गयी है ।

- डॉ. अम्बेडकर ग्राम सभा योजना के अन्तर्गत चयनित ग्राम सभाओं में गैर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के समस्त पात्र बी.पी.एल. आवास विहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा शत् प्रतिशत

वित्त पोषित महामाया सर्वजन आवास योजना संचालित है । योजनान्तर्गत वर्ष 2011–2012 में ₹ 100 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत चार लाख आवास का निर्माण कराये जाने का लक्ष्य है, जिसके लिये ₹ 350 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- डॉ. अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजनान्तर्गत चयनित ग्रामों को स्वच्छ शौचालय से संतृप्त करने हेतु निर्धारित मानक के अनुसार एक लाख तीस हजार व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण तथा अन्य ग्रामों में बारह लाख तेरह हजार शौचालयों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है । इन कार्यों हेतु ₹ 175 करोड़ की बजट व्यवस्था की गई है ।
- ग्रामीण पेयजल सम्पूर्ति योजना के अन्तर्गत वर्ष 2011–2012 में साठ हजार नये हैण्डपम्प, नब्बे हजार रिबोरिंग, एक लाख पचास हजार सोकपिट तथा छः सौ पाईप पेयजल योजनाओं के लिये ₹ 677 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- ग्राउण्ड वॉटर रिचार्जिंग हेतु चेक डैमों के निर्माण के नये कार्यों हेतु ₹ 50 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- मत्स्य विपणन अवस्थापना सुविधाओं के विकास तथा उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि से सम्बन्धित योजनाओं के क्रियान्वयन वर्ष 2011–2012 में मत्स्य उत्पादन का स्तर 5.32 लाख मीट्रिक टन तक पहुँचाने तथा पचास हजार व्यक्तियों को रोजगार के अवसर सुलभ कराने के साथ–साथ पैंतीस लाख मानव दिवस सृजित किये जाने का लक्ष्य है ।

समन्वित क्षेत्र विकास

बुन्देलखण्ड के त्वरित विकास के दृष्टिगत बांदा में मान्यवर श्री कांशीराम जी कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के अन्तर्गत पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, कृषि उद्यान एवं वानिकी महाविद्यालय एवं गृह विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना की जा रही है । बांदा में इंजीनियरिंग कालेज तथा एलोपैथिक मेडिकल कालेज की स्थापना भी की जा रही है ।

अम्बेडकरनगर में इंजीनियरिंग कालेज तथा एलोपैथिक मेडिकल कालेज की स्थापना की जा रही है । आजमगढ़ में भी इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना का कार्य प्रगति पर है ।

पूर्वांचल क्षेत्र में विकास की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये क्रिटिकल गैप्स को पूरा करने के लिये अलग से भी ₹ 291 करोड़ की व्यवस्था की गई है । इसी प्रकार बुन्देलखण्ड क्षेत्र के लिये ₹ 109 करोड़ की व्यवस्था अलग से की गई है ।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में ₹ 62 करोड़ की लागत से 60 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में मृदा एवं जल संरक्षण के कार्य से प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं संवर्द्धन किया जायगा ।

बुन्देलखण्ड की विशिष्ट योजनाओं के लिये ₹ 1200 करोड़ की अलग से व्यवस्था की गई है ।

औद्योगिक विकास

- अवस्थापना सुविधायें विकास प्रक्रिया की महत्वपूर्ण कुंजी हैं । प्रदेश में निवेश प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया है और अवस्थापना परियोजनाओं के क्रियान्वयन में निजी क्षेत्र को भागीदार बनाकर सरकार ने प्रदेश के नागरिकों को विश्व–स्तरीय अवस्थापना सुविधायें प्रदान करने का संकल्प लिया है । इस परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा एक पारदर्शी, निष्पक्ष एवं प्रभावी पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप नीति बनायी गयी है ।

- पब्लिक–प्राईवेट पार्टनरशिप नीति के अन्तर्गत् विश्वस्तरीय प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेस–वे के नेटवर्क तथा पुलों के आने से प्रदेश का चहुंमुखी विकास होगा ।

- निजी क्षेत्र में पूँजी निवेश हेतु ऊर्जा क्षेत्र की परियोजना में बारा एवं करछना में तापीय विद्युत

उत्पादन परियोजनायें, कानपुर एवं आगरा में इनपुट बेस्ड विद्युत वितरण फ्रैन्चाइजी का चयन, नौ शहरों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट, तकनीकी शिक्षा के अन्तर्गत आठ पॉलीटेक्निक, छः आई.टी.आई. की स्थापना, आगरा में इनर रिंग रोड का निर्माण, एक्सप्रेस वे निर्माण, सड़क एवं रेलवे ओवरब्रिज नेटवर्क का उच्चीकरण, नगरीय विकास परियोजनाओं आदि की ₹ एक लाख उनहत्तर हजार तीन सौ करोड़ लागत की परियोजनायें चिन्हित की गयी हैं ।

- प्रदेश में सड़क तथा बिजली के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी से कई बड़ी पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप परियोजनाएं प्रारम्भ की जा चुकी हैं जिनमें वर्ष 2010–2011 में ₹ 9700 करोड़ का निजी पूँजी निवेश होने का अनुमान है ।

- प्रदेश में मध्यम एवं वृहद उद्योगों को लगाने के लिये उद्यमियों को ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने, अनापत्ति प्राप्त करने एवं सहमति प्राप्त करने हेतु प्रथम चरण में 18 जिलों में “निवेश मित्र” व्यवस्था लागू कर दी गई है । इससे निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता तथा जबावदेही बढ़ेगी ।

- वर्ष 2010–2011 में माह नवम्बर, 2010 तक 22700 सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की स्थापना हुई है, जिसमें ₹ 2065 करोड़ का पूँजी निवेश हुआ है

तथा 119320 व्यक्तियों को रोजगार मिला है । वर्ष 2011–2012 हेतु 33,000 सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की स्थापना का लक्ष्य है, जिससे एक लाख तीस हजार व्यक्तियों को रोजगार सुलभ हो सकेगा ।

- मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना को अधिक सार्थक बनाने तथा ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के और अधिक अवसर उपलब्ध कराने के उद्‌देश्य से योजना की अधिकतम ऋण सीमा ₹ 5 लाख से बढ़ाकर ₹ 10 लाख कर दी गई है जिससे बड़ी और सक्षम इकाईयों की स्थापना हो सके ।

वन एवं पर्यावरण

- वन विभाग, अन्य राजकीय विभागों, विभिन्न संस्थाओं तथा आम जनता के सहयोग से वर्ष 2010–2011 में 80,530 हेक्टयर क्षेत्र में 7.49 करोड़ पौधों का रोपड़ किया गया है।
- प्रदेश के 18 जनपदों में बैम्बू मिशन के अन्तर्गत बांस की विभिन्न प्रजातियों के रोपण से बांस के उत्पादन में वृद्धि कर ग्रामीण अचंलों में बांस से बनने वाली वस्तुओं पर आधारित कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है ।
- उत्तर प्रदेश सहभागी वन प्रबन्धन एवं गरीबी उन्मूलन परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 2010–2011

में 265 ग्राम वनों की घोषणा, वन प्रबन्धन एवं गरीबी उन्मूलन के उद्देश्य से की गयी है।

- वनों के आस–पास रहने वाले ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु संयुक्त वन प्रबन्ध समितियों की स्थापना की गयी है । वन उत्पाद से होने वाले लाभ का अंश संयुक्त वन प्रबन्ध समितियों के सदस्यों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था से ग्रामवासियों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में सुधार होगा ।

कानून व्यवस्था

प्रदेश में अन्यायमुक्त, अपराधमुक्त एवं भयमुक्त वातावरण का सृजन करते हुए कानून का राज स्थापित किया गया है। वर्तमान सरकार के गठन के बाद से प्रदेश में कानून व्यवस्था एवं अपराध पर नियंत्रण की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। प्रदेश में साम्प्रदायिक सौहार्द्र का माहौल पूरी तरह बना हुआ है । किसी भी प्रकार का कोई जातिगत अथवा क्षेत्रगत तनाव या माओवादी घटना नहीं घटित हुई हैं ।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नागरिक पुलिस के 7200 से अधिक पद सृजित करते हुए 25 प्रतिशत बल की वृद्धि की गयी है। मिर्जापुर जनपद में ट्रेनिंग सेण्टर की स्थापना की कार्यवाही प्रचलित है । नक्सलवाद के निदान हेतु नक्सल प्रभावित सीमावर्ती राज्यों से समन्वय कर एक समविष्ट कार्य योजना तैयार की गयी है ।

विभिन्न राज्यों एवं नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेन्सी (एन.आई.ए.) के समन्वय से आतंकवादी सूचनाओं के सम्बन्ध में ''डाटा बैंक'' अद्यतन किया जा रहा है । आतंकवादी हमलों से निपटने के लिये कमाण्डो बल भी तैयार किया जा रहा है। प्रदेश में कमाण्डो ट्रेनिंग स्कूल, अनौरा, लखनऊ में स्थापित किया जा रहा है ।

राजस्व प्रशासन

- राज्य सरकार द्वारा भूमिहीन कृषकों को कृषि योग्य भूमि एवं आवासहीन व्यक्तियों को आवास स्थल आवंटन का विशेष अभियान चलाया गया है, जिसके आधार पर चिन्हांकित की गई समस्त भूमि का आवंटन कर दिया गया है । इसके साथ ही पूर्व में दिलाये गये पट्टों पर कब्जा दिलाये जाने का अभियान चलाया गया है ।
- विधवा को, पुत्रों के समतुल्य अधिकार प्रदान कर तथा पट्टों में पति–पत्नी का नाम संयुक्त रूप से दर्ज करने की व्यवस्था कर, उत्तर प्रदेश सरकार ने लिंग भेद कम करने की दिशा में कुछ वर्ष पूर्व जो शुरूआती ठोस कदम उठाया था उसे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम, 1950 में निर्धारित उत्तराधिकार के क्रम को संशोधित कर इसे महिलाओं के मालिकाना हक के अनुकूल बनाया है ।

- उत्तराधिकार के वरीयताक्रम में विवाहित पुत्री को भी भाईयों एवं भतीजों के समतुल्य अधिकार प्रदान किया गया है । इसके अतिरिक्त अविवाहित बहन को भी भाईयों और भतीजों के समतुल्य अधिकार दिया गया है । पितामही – पितामह को उत्तराधिकार हेतु अब एक श्रेणी में कर दिया गया है । अविवाहिता पुत्री को पिता की कृषि भूमि में तथा माता द्वारा अन्य प्रकार से प्राप्त कृषि भूमि में भाईयों के साथ विरासत में सामान्य वरीयता प्रदान कर दी गई है ।

- भूमि अधिग्रहण के मामलों में परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास के सम्बन्ध में पूर्व में अनुमन्य सुविधाओं के अतिरिक्त प्रत्येक किसान, जिसकी भूमि अधिग्रहीत की जा रही है, को 33 साल के लिए ₹ बीस हजार प्रति एकड़ प्रतिवर्ष की दर से वार्षिकी दी जायेगी जो भूमि के प्रतिकर के अतिरिक्त होगी । ₹ बीस हजार प्रति एकड़ प्रतिवर्ष की वार्षिकी पर प्रति एकड़ प्रतिवर्ष ₹ 600 की निश्चित दर से वृद्धि की जायेगी । यदि कोई किसान वार्षिकी नहीं लेना चाहता है तो उसे एकमुश्त ₹ 2.40 लाख प्रति एकड़ की दर से पुनर्वास अनुदान दिया जायेगा ।

आपदा प्रबन्धन

- आपदा राहत कार्यों के लिये वर्ष 2011–2012 के बजट में ₹ 405 करोड़ की व्यवस्था की गई है ।

न्याय प्रशासन

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद तथा खण्डपीठ लखनऊ की सुरक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु वर्ष 2011–2012 में ₹ 18 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

जनपदों में न्याय विभाग के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण के लिए ₹ 106 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

लम्बित वादों के निस्तारण हेतु सायंकालीन कोर्ट (ईवनिंग कोर्ट्स) चलाये जाने की योजना प्रस्तावित है जिसके लिए ₹ 68 करोड़ की बजट व्यवस्था की गई है ।

प्रदेश के कतिपय न्यायालय भवनों को विरासत भवन घोषित कराकर उनके नवीकरण व विशेष मरम्मत हेतु ₹ 12 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

राजकोषीय सेवायें

राज्य के स्वयं के कर राजस्व की प्राप्ति में राजकोषीय सेवाओं का महत्वपूर्ण योगदान है । उनके माध्यम से वाणिज्य कर, आबकारी शुल्क, स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क, मोटर वाहन एवं यात्री कर, मनोरंजन कर, भू–राजस्व आदि की वसूली होती है ।

वाणिज्य कर

वाणिज्य कर प्रदेश के राजस्व संग्रह का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। प्रदेश में मूल्य सम्वर्द्धित कर (वैट) लागू होने के बाद कर राजस्व में आशातीत वृद्धि हुई है ।

राज्य सरकार द्वारा वैट की प्रक्रिया के सरलीकरण तथा कम्प्यूटीकरण करने के साथ–साथ विभिन्न वस्तुओं पर कर की दरों को युक्तिसंगत करने का प्रयास किया गया है ।

वाणिज्य कर के लिए वर्ष 2010–2011 के पुनरीक्षित अनुमान ₹ 24,466 करोड़ के सापेक्ष वर्ष 2011–2012 में ₹ 32,000 करोड़ की प्राप्ति का अनुमान लिया गया है ।

राज्य उत्पाद शुल्क

राज्य उत्पाद शुल्क के अन्तर्गत वर्ष 2010–2011 के पुनरीक्षित अनुमान ₹ 6770 करोड़ के सापेक्ष वर्ष 2011–2012 में ₹ 8124 करोड़ की प्राप्ति का अनुमान लिया गया है ।

स्टाम्प एवं निबन्धन

स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क से वर्ष 2011–2012 में ₹ 6994 करोड़ की प्राप्ति का अनुमान है ।

परिवहन

परिवहन आयुक्त संगठन के सभी कार्यालयों का कम्प्यूटीकरण हो चुका है, जिसके माध्यम से वाहन सॉफ्ट वेयर संचालित कर वाहनों का पंजीयन, स्वच्छता प्रमाण पत्र एवं कराधान सम्बन्धी कार्य किया जा रहा है ।

वाहन कर एवं माल तथा यात्रीकर से प्राप्ति हेतु वर्ष 2011–2012 में ₹ 2330 करोड़ का अनुमान लिया गया है ।

2011–2012 के बजट अनुमान

मान्यवर,

अब मैं वित्तीय वर्ष 2011–2012 के बजट अनुमानों का संक्षेप में उल्लेख करना चाहूँगा ।

प्राप्तियाँ

- वर्ष 2011–2012 में ₹ 1,66,012.86 करोड़ की कुल प्राप्तियाँ अनुमानित हैं ।
- कुल प्राप्तियों में ₹ 1,31,428.70 करोड़ की राजस्व प्राप्तियाँ तथा ₹ 34,584.16 करोड़ की पूँजीगत प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं ।
- वर्ष 2011–2012 में राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश ₹ 98,609.37 करोड़ है । इसमें केन्द्रीय करों में राज्य का अंश ₹ 48,275.18 करोड़ सम्मिलित है ।

व्यय

- वर्ष 2011–2012 में कुल व्यय ₹ 1,69,416.38 करोड़ अनुमानित है ।
- कुल व्यय में ₹ 1,25,793.66 करोड़ राजस्व लेखे का व्यय है तथा ₹ 43,622.72 करोड़ रूपये पूँजी लेखे का व्यय है ।
- वर्ष 2011–2012 के बजट में ₹ 47,627.46 करोड़ आयोजनागत व्यय अनुमानित है ।

समेकित निधि

समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के पश्चात वर्ष 2011–2012 में घाटा ₹ 3,403.52 करोड़ अनुमानित है ।

राजस्व बचत

वर्ष 2011–2012 में ₹ 5,635.04 करोड़ की राजस्व बचत अनुमानित है ।

राजकोषीय घाटा

वर्ष 2011–2012 में ₹ 18,959.66 करोड़ का राजकोषीय घाटा अनुमानित है जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.97 प्रतिशत है ।

लोक लेखा से समायोजन

वर्ष 2011–2012 में समेकित निधि का घाटा पूरा करने के लिये ₹ 3,900.25 करोड़ लोक लेखा से समायोजित किये जायेंगे ।

समस्त लेन–देन का शुद्ध परिणाम

वर्ष 2011–2012 में समस्त लेन–देन का शुद्ध परिणाम ₹ 496.73 करोड़ अनुमानित है ।

अन्तिम शेष

वर्ष 2011–2012 में प्रारम्भिक शेष ₹ 751.10 करोड़ को हिसाब में लेते हुये अन्तिम शेष ₹ 1,247.83 करोड़ होना अनुमानित है ।

मान्यवर, मैं माननीया मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा जिनके कृपापूर्ण मार्गदर्शन में बजट तैयार किया गया ।

मंत्रि–परिषद के सभी माननीय सदस्यों का मैं अत्यन्त आभारी हूँ कि उनके सहयोग एवं परामर्श से तथा सभी विभागों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सहायता से बजट प्रस्तुत करने में सक्षम हो सका हूँ ।

मैं प्रमुख सचिव, वित्त श्री अनूप मिश्र और वित्त विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने इस बजट को तैयार करने में बहुमूल्य सहायता प्रदान की है। मैं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ के अधिकारियों एवं

कर्मचारियों के प्रति भी इस हेतु आभार प्रकट करता हूँ । राजकीय मुद्रणालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि उन्होंने बजट साहित्य का मुद्रण समय से किया । महालेखाकार, उत्तर प्रदेश एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति भी मैं उनके द्वारा दिये गये सहयोग के लिये अपना आभार प्रकट करता हूँ ।

इन शब्दों के साथ, मान्यवर, मैं विनम्रतापूर्वक वित्तीय वर्ष 2011–2012 का प्रदेश का बजट प्रस्तुत करता हूँ ।

19 माघ शक संवत् 1932

तदनुसार

दिनाँक : 08 फरवरी, 2011